(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, अलवर, मुकाम अलवर

मिसल मुकदमा:— इन्तकाल अपील कश्मीरी बनाम ग्राम पंचायत साहोडी वगैरा

मु० नं० ....सन —2024

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22—04—24	अपील वकील विद्वान श्री हरिप्रकाश वर्मा एडवोकेट ने उपस्थित होकर प्रस्तुत किया, अपील दर्ज रजिस्टर होकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 06—05—2024 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी अलवर	
6-5-24	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 20-5-24 को पेश हो। रीडर	
20-5-24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी ने ग्राम पंचायत को [illegible] पेश की है [illegible] रिपोर्ट पेश करे पत्रावली दिनांक 12-6-24 को पेश होवे। उपखण्ड अधिकारी अलवर	
12/06/24	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 01/07/24 को पेश हो। रीडर	

Scanned with OKEN Scanner

1.7.24

पत्रावली पेश हुई रजिस्ट्री रसीद/ हुई रिपोर्ट पेश पत्रावली बाबत तौर तामील पत्रावली दि० 15.7.24 को पेश होवे।

B

उपखण्ड अधिकारी
अलवर,

15.7.24

पत्रावली पेश हुई अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित एकतरफा कार्यवाही करते हुये बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दि० 22.7.24 को पेश होवे।

B

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

22.7.24

पत्रावली पेश हुई निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया निर्णय की प्रति पृथक से तहसीलदार अलवर को भिजवाते हुये बाद तामील, अमल से कम हो बाद दाखिल दफ्तर होवे।

B

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,अलवर जिला अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रतीक जुईकर (आई0ए0एस)

मु.नं.	किस्म	तारीख दायर	तारीख निर्णय
5/11	अपील	22.04.2024	22.07.2024

उनवान

1:—श्रीमती कश्मीरी पुत्री भरतू जाति नट निवासी साहोडी तहसील व जिला अलवर

2:—प्रेमलता पुत्री भरतू जाति नट निवासी साहोडी तहसील व जिला अलवर

3:—रामवीर पुत्र भरतू जाति नट निवासी साहोडी तहसील व जिला अलवर

4:—सावित्री देवी पुत्री भरतू जाति नट निवासी साहोडी तहसील व जिला अलवर वारिसान काबिज जायजाद भरतू व श्रीमती मु0 सोना मृतक

5:—शिवओम प्रकाश पुत्र श्रीमती गायत्री जाति नट निवासी साहोडी तहसील व जिला अलवर वारिस काबिज जायजाद भरतू व श्रीमती मु0 सोना व श्रीमती गायत्री मृतक

बनाम

1:—ग्राम पंचायत साहोडी जर्ये सरपंच ग्राम पंचायत साहोडी तहसील अलवर

अपील विरूद्ध इंतकाल संख्या 173 दिनॉक 19.12.2023 वाके ग्राम सूकल ग्राम पंचायत साहोडी, पंचायत समिति उमरैण

निर्णय

अपीलान्टस ने राज.भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत जर्ये वकील ने निवेदन किया कि तहत अदालत ने इंतकाल नं. 173 तारीख 19—12—2023 बाबत आराजी खसरा नंबर 10 रकबा 0.37 हैक्टेयर, 11 रकबा 0.27 हैक्टेयर, 12 रकबा 0.29 हैक्टेयर, 13 रकबा 0.27 हैक्टेयर, 14 रकबा 0.16 हेक्टेयर, 15 रकबा 0.29 हैक्टेयर, 16 रकबा 0.19 हैक्टेयर, 9 रकबा 0.33 हैक्टेयर कुल किता 8 रकबा 2.17 हेक्टेयर में से 1/9 हिस्सा खाता नंबर 65 वाके ग्राम साहोडी तहसील अलवर गलत तरीके पर नामंजूर किया है जिसका इल्म हम अपीलान्टान को तारीख 20—03—2024 को हुआ हैं इल्म होने पर उसी दिन नकल इन्तकाल मिलने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर नकल इन्तकाल तारीख 20—03—2024 को मिली। नकल इंतकाल मिलने पर वकील साहेबान से सलाह व मश्वरा लिया जिन्होंने अपील दायर करने की हिदायत दी। अपीलाण्टान ने गांव में जाकर रूपयों पैसों का इंतजाम किया। जिससे बिला देरी अपील पेश की जा रही है। दिनांक 20—03—2024 से पहले तहत अदालत के आदेश की जानकारी नहीं थी। जिस देरी के बाबत प्रार्थना पत्र जेर दफा 5 कानून मियाद मय शपथपत्र अलग से पेश है। अपीलाण्टान ने अपील दायर करने में

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

दीदोदानिस्ता देरी नहीं की है व उक्त देरी काबिल माफी है तजबीज ग्राम पंचायत जरिये सरपंच ग्राम पंचायत साहोडी से अपील काबिल समाअत अदालत श्रीमान है तजबीज मातहत बेजा व खिलाफ मंशाय कानून व खिलाफ वाकेयात व खिलाफ रिकॉर्ड महज कयासया है कि जो काबिल मंसुखी है यह कि साबिक आराजी खसरा नंबर 1 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा, 3 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 4 मिन रकबा 8 बिस्वा, 7 मिन रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, 8 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, 9 रकबा 1 बीघा, 10 मिन रकबा 3 बीघा, 20 मिन रकबा 15 बिस्वा, 4/951 रकबा 3 बिस्वा, 16/955 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 10 रकबा 18 बीघा 11 बिस्वा ग्राम सूकल ग्राम पंचायत साहोडी तहसील अलवर में वाके हैं उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार मिन अपीलान्टान के पिता व नाना भरतू पुत्र प्रभु जाति नट खातेदार काश्तकार थे जिस भरतू का स्वर्गवास हो गया हैं जिस भरतू का इन्तकाल मुताबिक प्रशासक नामान्तकरण उसकी बेवा सोना के नाम खातेदारी का दर्ज किया हैं, उक्त मु० सोना का स्वर्गवास हो गया है जिसके वारिसान हम अपीलान्टान नंबर 1 लगायत 4 पुत्रीया व पुत्रान है व अपीलान्ट नंबर 5 नवासा है व हम अपीलान्टान उक्त आराजी पर नेक नियती से काबिज दखिल हैं उक्त आराजी के हाल खसरा नंबर 10 रकबा 0.37 हैक्टेयर, 11 रकबा 0.27 हैक्टेयर, 12 रकबा 0.29 हैक्टेयर, 13 रकबा 0.27 हैक्टेयर, 14 रकबा 0.16 हेक्टेयर, 15 रकबा 0.29 हैक्टेयर, 16 रकबा 0.19 हैक्टेयर, 9 रकबा 0.33 हैक्टेयर कुल किता 8 रकबा 2.17 हेक्टेयर में से 1/9 हिस्सा खाता नंबर 65 वाके ग्राम सूकल ग्राम पंचायत साहोडी तहसील अलवर है। यह कि तहत अदालत ने चुनावी रंजिश के कारण हम अपीलान्टान के पक्ष में आराजी मुतनाजा का इन्तकाल विरासत नंबर 173 तारीख 19–12–2023 मंजूर ना करके खारिज करने में भारी भूल की है व हम अपीलान्टान को आराजी मुतनाजा के बाबत कस्टोडियन गैरखातेदार अंकित किया है जो गलत है जबकि उक्त आराजी मुतनाजा भरतू के हकूक कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी हैं जैसा कि भरतू के नाम पासबुक आराजी मुतनाजा के बाबत जारी की हैं जिसमें खाता नंबर 134 भरतू को खातेदार माना है व भरतू के मरने के बाद इन्तकाल विरासत भरतू की पत्नि सोना के नाम उक्त आराजी के बाबत इन्तकाल विरासत नंबर 57 भरतू की बेवा सोना के नाम खातेदारी का दर्ज व स्वीकार हुआ हैं। लेकिन उक्त इन्तकाल विरासत का अमल कागजात माल में नहीं आया है यह कि तहत अदालत ने गलत तरीके पर इन्तकाल विरासत नंबर 173 भरतू पुत्र प्रभू मृतक का गलत तरीक पर नामंजूर करने में भारी मूल की है वक्त इन्तकाल ग्राम पंचायत का कॉरम भी पूरा नहीं था तहत अदालत ने आराजी मुतनाजा का कोई मौका मुआयना किया व ना कब्जा देखा जबकि आराजी मुतनाजा पर हम अपीलान्टान नेक नियती से काबिज दखिल है तहत अदालत ने गलत तरीक पर हम अपीलान्टान को गैरखातेदार आराजी मुतनाजा के बाबत दर्ज किया है जबकि हम अपीलान्टान आराजी मुतनाजा के जायज खातेदार काश्तकार है व कब्जा मौके पर मौजूद है। लेकिन तहत अदालत ने इस बिन्दु पर कोई गौर नहीं किया मिन अपीलान्टा प्रेमलता ने अदालत श्रीमान के यहां आराजी मुतनाजा कुल किता

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

10 रकबा 18 बिस्वा 11 बिस्वा वाके ग्राम सूकल ग्राम पंचायत साहोडी तहसील अलवर का अपीलान्टा के नाम इन्तकाल दर्ज करने के बाबत पेश किया जिस पर श्रीमान ने ग्राम पंचायत को इन्तकाल खोलने के बाबत अंकन किया। लेकिन तहत अदालत ने आराजी मुतनाजा की जांच नहीं की व गलत तरीक पर इन्तकाल नंबर 173 आराजी मुतनाजा का हम अपीलान्टान के नाम दर्ज ना करके खारिज करने में भारी भूल की है यह कि अदालत जिला कलेक्टर महोदय अलवर के यहां एक अपील नंबर 14/13/2021 तारीख 06-12-2021 को बअनुवान बाबूलाल बनाम सरकार पेश की, जिस पर तारीख 14-02-2023 को बाबूलाल अपीलान्ट की अपील आराजी मुतनाजा के बाबत खारिज की गई यह कि भरतू पुत्र प्रभू का आराजी मुतनाजा में गलत तरीक पर 1/9 हिस्सा दर्ज किया है व गलत तरीक पर भरतू को गैर खातेदार कस्टोडियन दर्ज किया हैं। जिस बाबत अलहदा से कानूनी कार्यवाही की जा रही है अतः प्रार्थना है कि अपील मंजूर फरमायी जाकर तहत अदालत की आज्ञा बाबत इन्तकाल नंबर 173 तारीख 19-12-2023 हरबजाब्ता मंसुख फरमायी जावे व भरतू पुत्र प्रभू मृतक की आराजी मुतनाजा का इन्तकाल विरासत हम अपीलान्टान के पक्ष में दर्ज व स्वीकार किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस जरिये नोटिस तलब किये गये। रेस्पोडेन्ट विधि सम्मत तामील उपरान्त भी उपस्थित नही हुये उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल मे लेते हुये बहस सुनी गई बहस मे अपीलान्ट के द्वारा कथन किया कितहत अदालत ने चुनावी रंजिश के कारण हम अपीलान्टान के पक्ष में आराजी मुतनाजा का इन्तकाल विरासत नंबर 173 तारीख 19-12-2023 मंजूर ना करके खारिज करने में भारी भूल की है व हम अपीलान्टान को आराजी मुतनाजा के बाबत कस्टोडियन गैरखातेदार अंकित किया है जो गलत है जबकि उक्त आराजी मुतनाजा भरतू के हकूक कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी हैं जैसा कि भरतू के नाम पासबुक आराजी मुतनाजा के बाबत जारी की हैं जिसमें खाता नंबर 134 भरतू को खातेदार माना है व भरतू के मरने के बाद इन्तकाल विरासत भरतू की पत्नि सोना के नाम उक्त आराजी के बाबत इन्तकाल विरासत नंबर 57 भरतू की बेवा सोना के नाम खातेदारी का दर्ज व स्वीकार हुआ हैं। लेकिन उक्त इन्तकाल विरासत का अमल कागजात माल में नहीं आया है यह कि तहत अदालत ने गलत तरीके पर इन्तकाल विरासत नंबर 173 भरतू पुत्र प्रभू मृतक का गलत तरीक पर नामंजूर करने में भारी भूल की है वक्त इन्तकाल ग्राम पंचायत का कॉरम भी पूरा नहीं था तहत अदालत ने आराजी मुतनाजा का कोई मौका मुआयना किया व ना कब्जा देखा जबकि आराजी मुतनाजा पर हम अपीलान्टान नेक नियती से काबिज दखिल है तहत अदालत ने गलत तरीक पर हम अपीलान्टान को गैरखातेदार आराजी मुतनाजा के बाबत दर्ज किया है जबकि हम अपीलान्टान आराजी मुतनाजा के जायज खातेदार काश्तकार है व कब्जा मौके पर मौजूद है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया वकुलाय को सुना गया प्रार्थना पत्र दफा 5 पर नरम रूख अपनाते हुऐ प्रार्थना पत्र दफा 5 स्वीकार किया तथा बहस पर मनन किया। तहत

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

श्री हरिप्रसाद वर्मा एडवो.

पारित आलोच्य आदेश प्रथम दृष्टया अपास्त योग्य प्रतीत होता है अतः अपील अपीलान्ट इस हद तक स्वीकार की जाती है। तहत पारित आलोच्य आदेश ग्राम सूकल ग्राम पंचायत साहोडी तहसील अलवर की आज्ञा इंतकाल संख्या 173 दिनॉक 19–12–2023 बावत इन्तकाल स0 173 वाके ग्राम सूकल ग्राम पंचायत साहोडी तहसील अलवर जिला अलवर इस हद तक अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि भू–राजस्व अधिनियम एवं अन्य राजस्व नियमों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण मे विधिक रूप से प्रर्याप्त साक्ष्य/सबूत पेश करने का प्रर्याप्त अवसर अवसर/समय प्रदान करते हुये पुनः नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

निर्णय आज दिनांक 22.7.2024 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner